भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 324038

Kirti Azad Singh

विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

1-

ज्ञानस्थली फाउन्डेशन

ग्राम–भगवानपुर, पोस्ट–सरदहा बाजार,तहसील–सगड़ी, आजमगढ़

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30.06.2015 को आजमगढ़ में कीर्ति आजाद सिंह पुत्र श्री हरिश्वर सिंह ग्राम– भगवानपुर पो0– सरदहा बाजार तहसील– सगड़ी आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हे आगे न्यास कर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योकि न्यास कर्ता/संस्थापक पर रु0 11000.00 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है न्यास कर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह ट्रस्ट **ज्ञानस्थली फाउन्डेशन** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यास कर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से जिसमें दान उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप में सफल हो सके। क्योकि न्यासकर्ता /संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रुपये 11000.00 (ग्यारह हजार रूपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

19 JUN 2015

सबसे 30/6/15

इस लेखपत्र के निष्पादन को तथा प्रतिफल

धनराशि .... रुपये आदि को विक्रेता

से .... नकद प्राप्त करना

Kirti Azad Singh श्री कीर्ति आज़ाद सिंह पुत्र

स्वीकार किया जिनकी पहचान श्री चन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री .... सिंह

व श्री रामनाथ सिंह .... हरिहरपुर

पेशा .... ने की

उप निबंधक

सबसे 30/6/15

Kirti Azad Singh — चन्द्र प्रताप सिंह — रामनाथ सिंह

जाहिर भले गवाह प्रथम का निशान

नियमानुसार लिया गया

उप निबंधक

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 324039

और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट को पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–भगवानपुर, पोस्ट–सरदहा बाजार, सगड़ी आजमगढ़ रहेगा । अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योकि न्यास कर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमांनुसार निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

उद्देश्य एवं नियमावली

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u>

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा –

1. पाठशालाओं विद्यालयों महाविद्यालयों पुस्तकालयों वाचनालयों प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों अनाथालयों वृद्धाश्रमों , हास्टलों व इसी प्रकार के अन्य केन्द्रो की स्थापना करना तथा उनको मान्य संस्थान से पंजीकृत कराना।
2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दु, कम्प्यूटर, प्रोंफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
CE 324040

3. नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावालम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।

4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन/आवास/परिवहन सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना।

5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।

6. पुस्तकों, सहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों, आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।

7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास करना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करना।

8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठके, विशेष कक्षाएं छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित कायक्रमों पर कार्य करना।

10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि पर लोगों को शिक्षित करना।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CE 324041

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजिनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज, बी0एड0, बी0टी0सी0 कालेज, नर्स ट्रेनिंग कालेज आई0टी0आई0 कालेज सी. बी.एस.सी. ब्रोर्ड,आई.सी.एस.सी. ब्रोर्ड, व यू0पी0 ब्रोर्ड के विद्यालय, पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथीरैपी, आदि संस्थानों की स्थापना करना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टैक्निीशीयन, सॅम्बद्ध प्रबन्ध आदि करना।

12. व्यक्ति विशेष, सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं ट्रस्ट मे ऐसे संस्थानों को समायोजित/विलय करना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग/अनुदान प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।

14. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

15. आयुर्वेदिक औषधियों एवं फल संरक्षण (जैम, जैली, अचार, मुरब्बा, व अन्य)का उत्पादन व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना।

16. कृषि पर आधारित उत्पादों पर अनुसंधान करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना।

18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

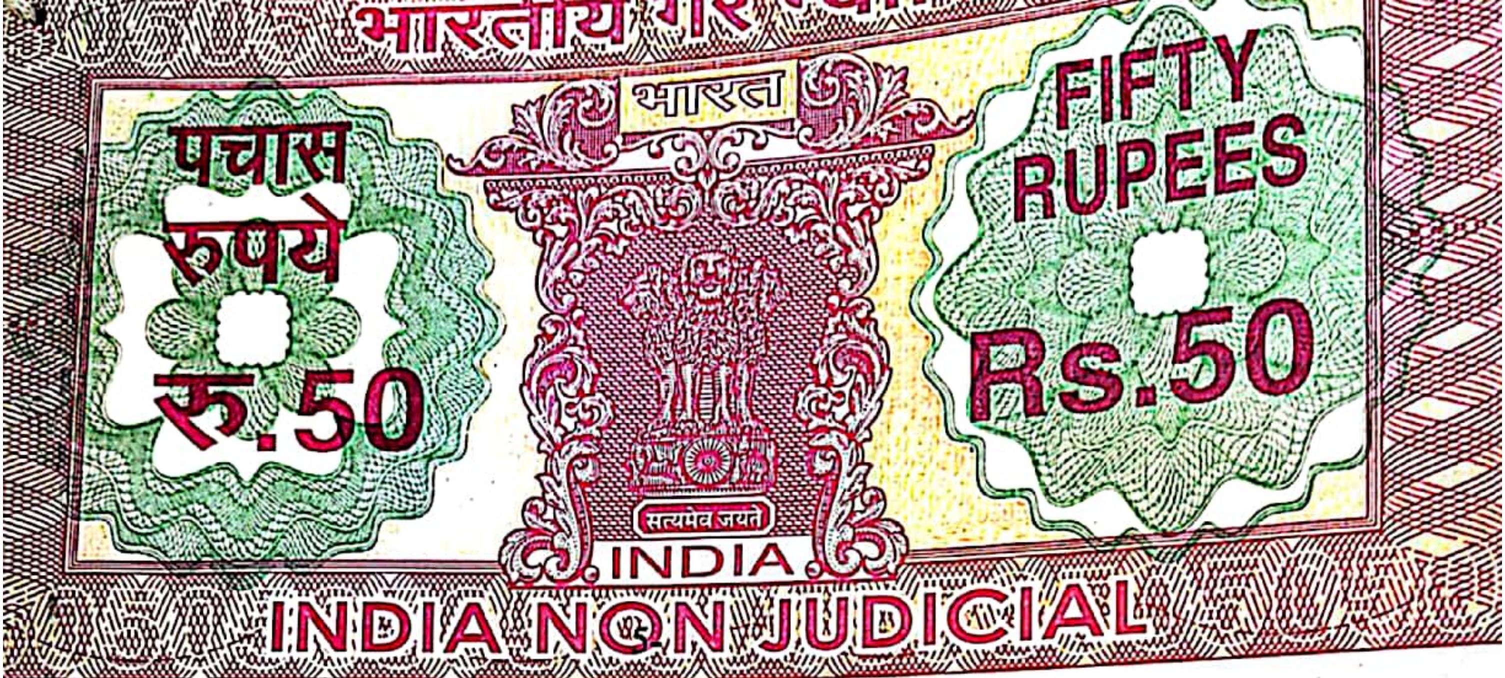

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 819815

19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादीत, वितरित, विक्रित करना।

20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

21. पत्राचार द्वारा, अध्यापक/अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्वार करना।

24. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।

25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

26. ट्रस्ट संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यायलों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजिनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) को प्रदान करना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में सहमति करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्याय मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित/विलय किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) माना जायेगी। इसमें मैंनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृत आवश्यक होगी।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 819048

27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार करना।

29. ट्रस्टी वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा और बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेहरु युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।

32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरुरतमन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गो अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक, संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रो, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने,

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

7

शुरु करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 819049

33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

34. कृषको/ग्रामीणों को फूल एवं औषधियों खेती के विशय में जानकारी देना उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

35. कृषको के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।

36. कोई भी पंजीकृत समिति/संस्था को इस ट्रस्ट में समायोजित/विलय करना एवं उनके उददृश्यों को पूरा करना।

37. ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किसी सरकारी, केन्द्रीय, विदेशी व पंजीकृत संस्थानों से अनुदांन अथवा ऋण ग्रहण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन प्राप्त करना।

2. **प्रारम्भिक उपबन्ध** –

1. वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से कीर्ति आजाद सिंह को न्यास कर्ता [redacted] इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा (1) श्री हरिश्वर सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम– भगवानपुर पो0–सरदहा बाजार तहसील–सगड़ी ,आजमगढ़ (2)श्री अभिमन्यू सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम– भगवानपुर पो0–सरदहा बाजार तहसील–सगड़ी ,आजमगढ (3)श्री प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिंह सिंह ग्राम– बनकटा बुजुर्ग पो0–राजेसुल्तानपुर जनपद– अम्बेडकरनगर।

KirtiAzad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 819050

4. श्री राजन सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम– भगवानपुर पो0–सरदहा बाजार तहसील–सगड़ी ,आजमगढ 5.श्री कीर्तिवर्धन सिंह पुत्र श्री अभिमन्यू सिंह ग्राम– भगवानपुर ,पो0–सरदहा बाजार तहसील–सगड़ी ,आजमगढ़ ट्रस्टी होगें।

2. किसी भी नये ट्रस्टीयों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 10000.00 दस हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टीयों द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उन्हे ट्रस्टी बनाया जायेगा व किन्ही कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदन की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

3. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्ते निम्न है–मृत्यु ट्रस्ट विरुद्ध कार्यो में संलिप्तता पाये जाने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर त्याग पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्कासित किया जा सकता है।

4. ट्रस्ट में कम से कम दो व अधिकतम बीस ट्रस्टी सदस्य होगें।

5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी या बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा। परन्तु इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति न मिलने की स्थिति मे उसे फिर संसोधन के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 819051

3. मैनेजिंग ट्रस्टी –

1. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय, तो कीर्ति आजाद सिंह के मृत्यु के पंश्चात अभिमन्यू सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम–भगवानपुर, पो0–सरदहा बाजार, तहसील– सगड़ी, आजमगढ़ व राजन सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम–भगवानपुर, पो0–सरदहा बाजार, तहसील– सगड़ी, आजमगढ इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होगें। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर ट्रस्टीयों का बहुमत प्राप्त करना होगा, अन्यथा किसी अन्य स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 2/3 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिग ट्रस्टी के चयन होने तक अभिमन्यू सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम–भगवानपुर, पो0–सरदहा बाजार, तहसील– सगड़ी, आजमगढ़ व राजन सिंह पुत्र स्व0 फौजदार सिंह ग्राम–भगवानपुर, पो0–सरदहा बाजार, तहसील– सगड़ी, आजमगढ मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेगें।

2. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें, जो कि वर्तमान ट्रस्ट डीड कें मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वंय करेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनका कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये, किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 819052

6. यहा पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे अपनी जगह इस ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी को मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टीयों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u> –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफॅ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमे कि अधिकतम् 10 सदस्य होगें।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/ जीवन पर्यन्त कार्य कर सकते हैं।

Kirti Prasad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 818053

5. **मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार**— मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गय निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 3 ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हित में चल–अचंल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय, दान, गिरवी, भाड़ा दे सकता है व ले सकता है

6. **मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं**— ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. **कार्य क्षेत्र**— ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति**—

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 819054

2. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्टीयों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. <u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति</u>–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़नें पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक जीवन पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त समय पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति मे उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है।

KirtiPrasadSingh

Scanned with OKEN Scanner

13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 799834

अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. **मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–**

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें।

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढ़ंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

Kirti Prasad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 819047

अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें।

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 819816

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14. बैंक एकाउण्ट–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा संचालित किया जायेगा।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय महाविद्यालय/बी.टी.सी. कालेज/बी.एड. कालेज/नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज/आई.टी.आई कालेज/संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

Kirti Apeel Singh

Scanned with OKEN Scanner

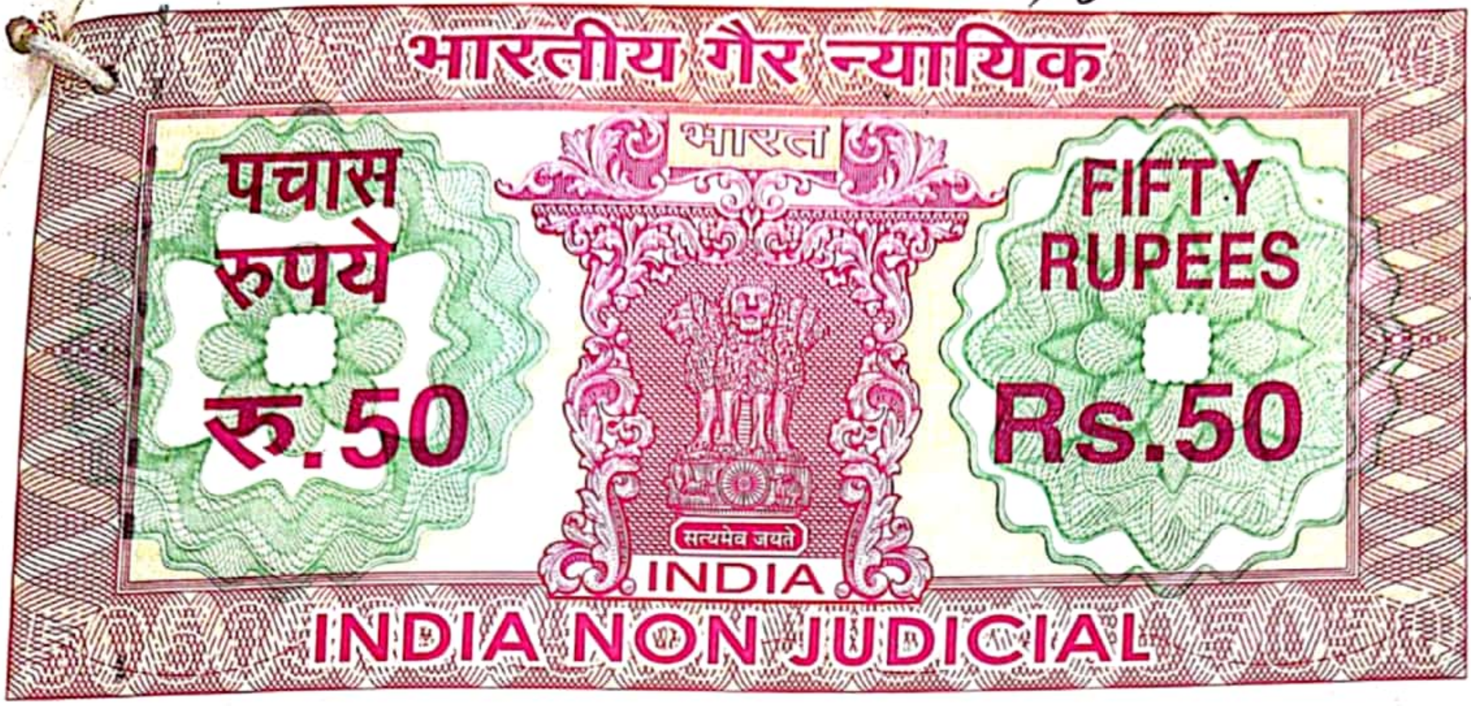

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 799836

15. विधिक कार्यवाही– संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मैनेजिंग ट्रस्टी स्वंय या उसकी अनुमति से कोई अन्य ट्रस्टी अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करेगा

16. सम्पत्ति सम्बन्धी–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, बिलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/ बिलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजित कर सकता है।

Kirti Azad Singh

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 799835

7. चल/अचंल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), अनु... (License), बन्धक (Mortage), भारित (charge), गिरवी (Pledge), विभाजीत (Partiti... आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

8. ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टीगों को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की तरफ से चन्द... धन इत्यादि प्राप्त कर ट्रस्ट के खाते में जमा कर सकते हैं, परन्तु वह ट्रस्ट पर ... प्रकार का ऋण या किसी प्रकार का दायित्व नही ग्रहण कर सकते हैं।

9. यदि असमान्य परिस्थितियों में ट्रस्टीयों की राय या परिस्थितिवष में ट्रस्ट के विघट... स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पति ट्रस्टीयों में वित... न हो कर सामान्य उद्देश्य वाली किसी अन्य ट्रस्ट में हतांन्तरित कर दी जायेगी।

17. <u>विषेश–</u>

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत/संस्था/उपकम के कार्य संचालन हेतु ... से नियम उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट "(ज्ञान... फाउन्डेशन)" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है ... नियम/उपनियम अतिकमण की सीमा तक शून्य होगें।

Kirti ... Singh

Scanned with OKEN Scanner

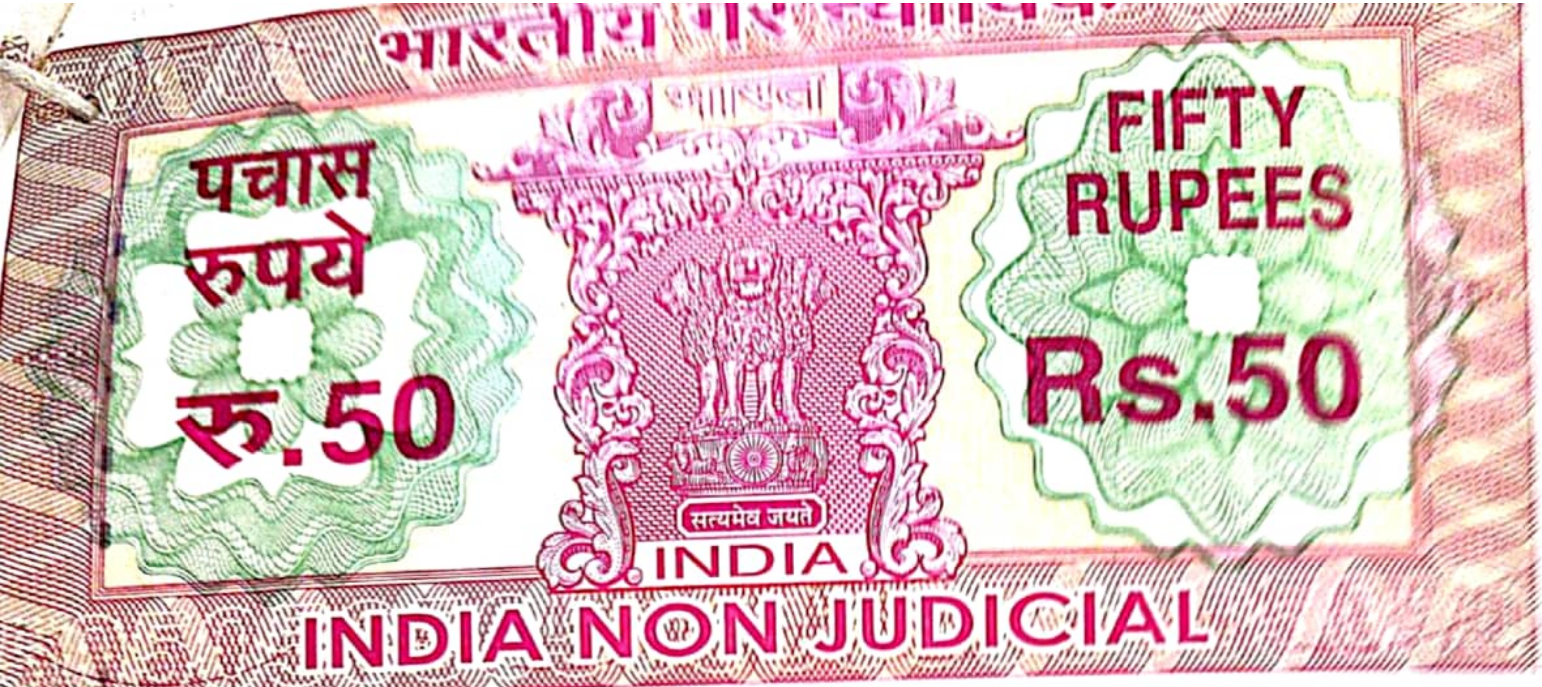

18-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 799833

(ख) मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधा के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

यह कि (ज्ञानस्थली फाउन्डेशन) न्यास की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Tr की उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमत, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मा एवं क्रियान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये ग

कीर्ति आजाद सिंह

मैनेजिंग ट्रस्टी

ज्ञानस्थली फाउन्डेशन

तैयार कर्ता— राजेश उपाध्याय (एडवोकेट) कलेक्ट्री, आजमगढ़ — ग्राम—भगवानपुर, पोस्ट— सरदहाबाजार

टाइप कर्ता— शशांक कुमार, सिधारी, आजमगढ़ — जनपद— आजमगढ़

साक्षीगण

Kirti Azad Singh

नाम - चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह — नाम कीर्ति आजाद सिंह

पता सा० मंदरनपुर, त०-सगड़ी जि०-आजमगढ़ — पता ग्रा. भगवानपुर पो. सरदहा बजार, त. - सगड़ी जि. . आजमगढ़

रामन उपाध्याय पुत्र रामप्रताप सिंह
सा० हरखिन्दपुर टा सगड़ी
जि० आजमगढ़

आज दिनांक 30-6-15 को छापा।
स्टेट प्रति पुस्तक संख्या I
खण्ड 54 के पृष्ठ 231-266 पर
क्रम संख्या 31 पर रजिस्ट्रीकृत
किया गया।

उप निबंधक
सगड़ी-आजमगढ़